Potato Crops in U.P.

596. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether U.P. Government have approached the Centre for assistance to save the potato crop from decaying due to the lack of winter rains in U.P.; and

(b) if so, Government's atitude thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra): (a) Yes Sir. Reports of dacaying of potato crops in U.P. due to early and late blights of potatoes have been received. These diseases take a more serious turn under drought conditions.

(b) The State Government were given necessary assistance in procurement of pesticides and application equipment. Technical advice and help have also been extended.

Brahmaputra River as a National Waterway

597. Shri P. C. Borooah:
Shri D. C. Sharma:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri Kolla Venkaiah:
Shri M. N. Swamy:
Shri Laxmi Dass:
Shri C. K. Bhattacharyya:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to declare river Brahmaputra as a National Waterway; and

(b) if so, the extent of Central control over the river navigation and the Central Government's powers and functions in this regard?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) and (b). The matter is under Government's consideration.

दिल्ली के टैक्सी और स्कूटर ड्राइवरों के विरुद्ध शिकायतें

598. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दिल्ली के टैक्सी और स्कूटर ड्राइवरों के विरुद्ध किराया अधिक लेने तथा दुर्व्यवहार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई से 31 दिसम्बर 1965 तक सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) 970 ।

(ग) ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस की यातायात यूनिट द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(1) जब कभी स्कूटर या टैक्सी ड्राइवर के विरुद्ध कोई प्रजाजन अधिक किराया लेने या दुव्यवहार करने के बाबत लिखित शिकायत करता है तो उस ड्राइवर के विरुद्ध जांच पड़ताल के बाद मुकदमा चलाया जाता है ।

(2) प्रजाजनों को दोषी स्कूटर और टैक्सी ड्राइवरों के विरुद्ध शिकायत करने का प्रोत्साहन देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण और विशेष कर टैक्सी / स्कूटर अड्डों के निकट के चौराहों पर ड्यूटी देने वाले यातायात पुलिसमैनों को

छपे हुए शिकायत फार्म दिये जाते हैं। प्रजाजन निकटतम स्थान पर ड्यूटी देने वाले यातायात पुलिसमैन से छपा हुआ फार्म मांग सकते हैं। ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही आवश्यक पूछताछ के बाद की जाती है।

(3) 16 जुलाई, 1965 से जब से यातायात पुलिस ने दिल्ली और नयी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर के यातायात का नियन्त्रण अपने हाथ में लिया है, इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर बोर्ड प्रदर्शित किये गये हैं और यात्रियों की शिकायत दर्ज कराने के लिये शिकायत घर स्थापित किये गये हैं।

(4) एक टैक्सी किराया जांच पोस्ट कार्ड छापा गया था और वह पालम हवाई अड्डे पर हाल ही में टैक्सी करने वाले यात्रियों को वितरित किया गया था। यात्रियों से यह प्रार्थना की गयी थी कि वे यात्रा की समाप्ति पर उसे भर दें और मीटर द्वारा बताये गये किराये तथा लिये गये वास्तविक किराये का ब्यौरा देते हुये उसे यातायात पुलिस को डाक द्वारा भेज दें। यदि यातायात पुलिस को मालूम होता है कि यात्री से अधिक किराया लिया गया है तो ड्राइवर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार की व्यवस्था रेल स्टेशनों पर भी करने का प्रस्ताव है।

(5) प्रजाजनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के ठीक किराये के बाबत जानकारी देने के लिये टैक्सी किराया कार्ड छापे जा रहे हैं और वे शीघ्र ही वितरित किये जायेंगे।

(6) टैक्सी ड्राइवरों और स्कूटर ड्राइवरों से उनकी अपनी अपनी यूनियनों के मारफत निवेदन किया गया है कि वे यात्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार करें और यातायात नियमों/विनियमों का उल्लंघन न करें।

गन्ने का सम्भरण

599. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष बिहार के चम्पारन जिले से बड़ी मात्रा में गन्ना नेपाल भेजा जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चम्पारन में चीनी मिलों के लिये गन्ने की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नेपाल को गन्ना भेजे जाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) कुछ गन्ना बिहार के चम्पारन जिले से नेपाल जा रहा है लेकिन ऐसे गन्ने की मात्रा अधिक नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राशन की मात्रा

600. श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 30 नवम्बर, 1965 के